बलात्कार के मामलों के विचारण के लिए महिला न्यायाधीशों वाले न्यायालय

*453. **श्री राम चन्द्र विकल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि महिलाओं के साथ बलात्कार तथा उनके प्रति किये जाने वाले अन्य अपराधों के विचारण के लिये महिला न्यायाधीशों वाले न्यायालयों की स्थापना की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में पिछले तीन वर्षों के दौरान न्यायालयों में विचारित ऐसे अपराधों के मामलों की संख्या कितनी है ?

गृह मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) अपराधों के विचारण के लिए न्यायालयों की स्थापना करना और इन न्यायालयों की अध्यक्षता करने के लिए न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करना राज्य सरकारों और संबंधित उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। केन्द्र में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) वर्ष 1983, 1984, 1985 और अक्तूबर 1986 तक दर्ज किए गए विभिन्न अपराधों के संबंध में उपलब्ध सूचना का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । अपराधों के विचारण के संबंध में सूचना अपराधवार नहीं रखी जाती है ।

विवरण

वर्ष 1983, 1984, 1985 और अक्तूबर, 1986 तक के दौरान दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में दर्ज किए महिलाओं पर अपराधों की संख्या का विवरण ।

अपराध	1983	1984	1985	अक्तूबर, 1986 तक	जोड़
बलात्कार	78	85	83	72	318
शीलभंग	81	109	90	80	359
जंजीर छीनना	51	68	99	86	304
महिलाओं और लड़कियों का अपहरण	564	843	734	449	2590
महिलाओं से छेड़छाड़	360	185	52	587	1184
दहेज के कारण हुई मौतें	42	30	33	39	144
जोड़	1176	1319	1091	1313	4899